कार्यालय – सहायक संचालक

छ.ग. स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन (CSSDM)
जिला–जशपुर (जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर)
फोन नम्बर :– 07763-220498, Email: deojashpur@yahoo.in

क्र. / CSSDM / 2013–14 / 146 / जशपुर दिनांक 13.9.2013

विषय :– **सहायक संचालक (CSSDM) के जिला जशपुर पद को संविदा आधार पर पूर्ति बाबत्।**

जनशक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डव्हलपमेंट मिशन (CSSDM) के जिला स्तरीय कार्यालय हेतु स्वीकृत सहायक संचालक के 01 पद पर पूर्णतया संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इच्छुक आवेदकों से, जो इस पद के लिए निर्धारित :शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता पूरी करते हों, आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

टीप : सभी मामलों में राज्य शासन के संविदा नियम लागू होंगे।

- राज्य शासन के संविदा नियमों के अनुसार संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि (**वर्तमान में राशि रू. 24870/–**) देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

सहायक संचालक के पद हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार होगी :–

The person should have Engineering / Science / Management Graduate degee / Master in Social Work (MSW) from recognized Institutions/ University with minimum 03 years of relevant work experience in reputed Private/ Govt. Organisation.

Person should possess good analytical and communication skill in English. S/he will be able to develop programme policies, guidelines and implement thereto in hierarchy.

Test will be taken to measure skill in Computer Operation & Proficiency in English.

इस पद हेतु आवेदन करने के लिये आयु सीमा :–

(क) दिनांक 01.01.2013 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) का हो तो उच्चतम आयुसीमा में अधिकतम 05 वर्षों तक छूट दी जावेगी।

2. महिला पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

3. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वालों के मामलों में उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण पार्टनरों के मामलें में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

5. शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचंद्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी।

6. विकलांग अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जावेगी—यह छूट छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित विकलांगों के उद्यमी पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ़ के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित विकलांग प्रत्याशी को ही दी जावेगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जावेगी :—

अ. अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक, चाहे व राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी हो या कार्यभारित अथवा आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो, 38 वर्ष से अधिक न हो।

ब. ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि, एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने की अनुमति दी जावेगी। बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटंनी गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो।

स. भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पस्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :–

1. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतें (एस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो।
2. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने (ख) भर्ती की शर्तें पूर्णकर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।
3. ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं)
4. ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।
5. ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगें।
7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

द. अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधान भी लागू रहेगें।

नोट :– किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

1. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिख 4''X 8'' लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। लिफाफे के उपर जिस पद हेतु आवेदन किया जाना है उस पद का नाम लिखा होना चाहिए। शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, मूल निवासी प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक एवं आवेदक से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां भेजना आवश्यक है। अपूर्ण रूप से भरे गये या बिना सहपत्रों के आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त होंगे।

   - **आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07.10.2013 समय 5:00 बजे।**
   - आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीट पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं ऐसे आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।
   - आवेदन दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।
   - आवेदन में चाही गई जानकारियां स्पष्ट रूप से भरी जावे।
   - आवेदन केवल निम्न पते पर ही किये जायेंगे - **सहायक संचालक CSSDM जिला-जशपुर (छ.ग.) कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जशपुर (छ.ग.)**

2. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये दिये हुये होने चाहिए अथवा प्रमाण पत्र में पद का नाम, वेतन/मानदेय एवं कार्य अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य है।
3. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों चयन की दशा में छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियम लागू होंगे।
4. आयु अर्थात् महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
5. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिनमें से 01 का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
6. शासकीय अर्धशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
7. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर

पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा तथा समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

8. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

9. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जॉच कराई जायेगी, जॉच में किसी भी प्रकार से गलत जांच प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

चयन का तरीका–

सहायक संचालक (CSSDM) हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता के आधार पर प्राप्त आवेदनों में पात्रता रखने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जावेगी।

पात्र आवेदकों की सूची में से Engineering/Science/ Management Graduate Degree/ Master in Social work (MSW) from Recognized Institutions / University की परीक्षा में अथवा इन्हीं Stream में आवेदक द्वारा Recognised Institutions University से Master Degree में उत्तीर्ण की गई परीक्षा में से जिस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किया है, उसे आधार मानते हुए ओवरआल प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से 1:20 के अनुपात में Skill in computer Operation & Proficiency in English. के टेस्ट हेतु एवं साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(टीप :– उपरोक्त अनुपात में चयनकर्ता द्वारा वृद्धि की जा सकती हैं)

अंतिम रूप से चयन किये जाने हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता के आधार पर तैयार किये गये ओवरआल प्रावीण्यता सूची में प्राप्त प्रतिशत का 50% Skill in Computer Operation के टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10%, Proficiency in English एवं General Aptitude/ Reasoning के टेस्ट में प्राप्त अंकों का 30%, Wheitage रखा गया हैं। साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित किये गये हैं।

कार्यालय – सहायक संचालक

छ.ग. स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन (CSSDM)
जिला–जशपुर (जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर)
फोन नम्बर :– 07763-220498, Email: deojashpur@yahoo.in

रिक्त पद की अधिसूचना

सहायक संचालक, CSSDM :– 1 पद अनारक्षित

उपर्युक्त संविदा पद हेतु आवेदन दिनांक 07.10.2013 शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जशपुर जिला–जशपुर छ.ग. में लिये जायेंगे।

कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट www.jashpur.gov.in से भर्ती की शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।

17/9/2017

सहायक संचालक
सीएसएसडीएम जशपुर (छ.ग.)

सहायक संचालक (CSSDM) जिला–जशपुर (छ.ग.) हेतु संविदा आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए

आवेदन पत्र का प्रारूप

हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं से सत्यापित कर चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम –सहायक संचालक (CSSDM) संविदा, जिला–जशपुर (छ.ग.)
2. आवेदक का नाम – :...
3. पिता / पति का नाम – :...
4. माता का नाम – :...
5. शैक्षणिक योग्यता – (Engineering/Science/Management Graduate Degree/ Master in Social Work (MSW) from recognized / Institution/University में से जो संबंधित है की जानकारी भरे) साथ ही यदि उपरोक्त Stream Master Degree भी है तो उसकी भी जानकारी भरें।

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क (यदि कोई है)
1	2	3	4	5	6	7	8

आवेदक के हस्ताक्षर

6. मान्यता प्राप्त संस्थान / प्रतिष्ठान / आर्गेनाईजेशन से प्राप्त अनुभव संबंधी जानकारी :– (प्रबंधकीय / प्रशासनिक / अकादमिक / शैक्षणिक / तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आवेदित पद के अनुरूप ही मान्य किये जाएंगे उन्हीं संस्थानों / प्रतिष्ठानों के अनुरूप मान्य किये जायेंगे, जो कि केन्द्र अथवा राज्य शासन के किसी विधि अथवा नियमों के अधीन पंजीकृत हो। चयन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत नियुक्तिकर्ता को किसी अनुभव को मान्य करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार होगा)

क्र	नियोक्ता विभाग / आर्गनाइजेशन का नाम	संस्था का नाम जहॉ कार्य कर रहे हैं।	पद नाम	पद की प्रकृति (अस्थायी / स्थायी संविदा या अन्य)	मसिक वेतन (रू. में)	कार्य ग्रहण अवधि दिनांक सहित	कुल अनुभव आवेदन करने की तिथि से (माहमें)
1	2	3	4	5	6	7	8

नियोक्ता के संबंध में जानकारी :–

संस्थान / प्रतिष्ठान का नाम जहाँ कार्य किया है / था, का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित / मोबाईल नं.	ई–मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	TIN/TAN Number की जानकारी	केन्द्र अथवा राज्य शासन के द्वारा जारी संबंधित वैध पंजीयन नंबर
1	2	3	4	5	6

(टीप– सहायक संचालक पद हेतु 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है)
टीप – आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जॉच कराई जायेगी, जॉच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पद हेतु अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

8. जन्मतिथि अंकों में :.दिन.......................माह....................वर्ष............................
आयु दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में : दिन ....माह..................वर्ष..........................

9. जाति :–
अनुसूचित जाति ☐ अनु. जनजाति ☐ अन्य पिछड़ा ☐ सामान्य ☐

10. क्या आप आयु सीमा में छुट का दावा करते हैं यदि हां तो 1. कितने वर्ष की ....
2. कारण बतायें तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगायें ....

11. पत्र व्यवहार का पता :..
:..
एसटीडी कोड–....................लैंडलाईन नं.........................
मोबाईल नं..............................ई–मेल..................................
जिला का नाम........................पिन कोड..........................

टीपः– आवेदक को पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी / पत्राचार ई–मेल / SMS के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यान पूर्वक ई–मेल एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।

निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में सही चिंह अंकित करें। यदि जानकारी हां में है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

12. क्या आप विकलांग है हां ☐ नहीं ☐

13. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? हां ☐ नहीं ☐

14. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। हां ☐ नहीं ☐

15. क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है? हां ☐ नहीं ☐

16. क्या आप शासकीय सेवा से छंटनी किये गये है हां ☐ नहीं ☐

17. क्या आप अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन, योजनान्तर्गत पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नीहैं? हां ☐ नहीं ☐

18. क्या आप विक्रम पुरस्कार विजेता है? हां ☐ नहीं ☐

19. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं है? हां ☐ नहीं ☐

20. लिंग :— पुरूष ☐ महिला ☐

21. रोजगार कार्यालय का नाम एवं :..
जीवित पंजीयन क्रमाक दिनांक सहित :..

22. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि:..

23. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :..

24. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :—
    1. अनुभव प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
    2. नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
    3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
    4. मूल निवास प्रमाण—पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
    5. पंजीयन प्रमाण—पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति
    6. जाति प्रमाण—पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति

प्रमाण पत्र

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :................................
स्थान :................................

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा स्थायी पता